

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 7, 1947)

लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2026-2027 की अवधि हेतु क्रमशः नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम.

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026 को लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन के प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकृति दी गई। समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 को अपरान्ह 4:00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2026 को अपरान्ह 2:00 बजे से विधानसभा भवन, बी-ब्लॉक स्थित समिति कक्ष में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026 को अपरान्ह 3:00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।
4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2026 को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक विधानसभा भवन, बी-ब्लॉक स्थित समिति कक्ष में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

दिनेश शर्मा
सचिव.
छत्तीसगढ़ विधान सभा